दूरभाष PBX 762021, 22, 24

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch.Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः लेखा/ 3850 – G-1
दिनांकः 14-10-2019

सेवा में,

प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की लोक लेखा समिति के आडिट प्रस्तर के अन्तर्गत वर्ष 2011 तक लंबित अग्रिम रूपये 41.00 करोड के समायोजन के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आडिट प्रस्तर में 1993 से लेकर 2011 तक विभिन्न महाविद्यालयों एवं अन्य द्वारा लिये गये अग्रिमों के असमायोजित रहने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी तथा शीध्र समायोजन करने का निर्देश दिया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राचार्यों को पत्र लिखा गया तथा अनेक प्राचार्यो से वार्ता हुयी जिनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि इतनी लंबी अवधि के बिलो को तैयार करा पाना या कार्यालय प्रति उपलब्ध करा पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा इस अवधि में पानी से भीगने एवं आग आदि से अभिलेखों की क्षति के प्रकरण संज्ञान में लाये गये। अतः वित्तीय वर्ष 2011 के पूर्व समायोजित बिलो के सम्बन्ध में वित्त समित्ति में विचार किया गया । सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति/मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्न व्यवस्था की गयी।

1. वर्ष 1993 से 2011 तक के प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा के असमायोजित अग्रिमो के सम्बन्ध में यदि महाविद्यालयों द्वारा पुराने बिलो को प्रस्तुत किय जाना संभव न हो रहा हो तो इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्यो द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराया जायेगा। कारण औचित्यपूर्ण होने पर ऐसे मामलो में महाविद्यालयों में रक्षित अभिलेखों की छायाप्रतियों को महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा सत्यापित करने एवं समायोजन की संस्तुति करने के आधार पर बिल परीक्षा/ गोपनीय विभाग में प्रस्तुत किये जायेगें उन पर परीक्षा / गोपनीय विभाग की संस्तुति के आधार पर वित्त विभाग सामान्य परीक्षण कर समायोजन स्वीकार करेगा।

दूरभाष PBX 762021, 22, 24

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch.Charan Singh University, Meerut

2. भविष्य में अग्रिमो के समायोजन नियमित रूप से कराये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयो के प्राचार्य को सेवानिवृत होने से पूर्व उनके कार्यकाल के अग्रिमो में समायोजन हेतु अदेयता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सेवानिवृति के भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी।
3. स्वः वित्त पोषित कालिजो के सम्बन्ध में प्राचार्यो के महाविद्यालययों को छोडने से पूर्व प्रबन्धन इस प्रकार का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करे अन्यथा अग्रिम समायोजन का दायित्व प्रबन्धन का होगा।

वित्त आधिकारी

प्रतिलिपिः—

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वित्त आधिकारी